



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-19012023-242080
CG-CG-E-19012023-242080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]
No. 296]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2023/पौष 29, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2023/PAUSHA 29, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

बिलासपुर, 13 जनवरी, 2023

का. आ. 310(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारिणी-1

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना
1	2	3
1.	अनुविभागीय अधिकारी (रा), बिल्हा, बिलासपुर-छत्तीसगढ़	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित बिल्हा - दगौरी (6.50 कि.मी.) के बीच एनर्जी कॉरिडोर (चौथी लाईन) परियोजना का निर्माण।

[फा. सं.-डी.सी. ई/सी/आर/बी.वाई.एल-डी.जी.एस./7ए/]

एस. के. झा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 13th January, 2023

S.O. 310(E).—In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the State of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE-1

Sl.No.	Competent Authority	Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	Sub Divisional Officer (Revenue), Belha, Bilaspur, Chhattisgarh.	Construction of Energy Corridor (4th line) project between Belha-Dagori (6.50 km) situated in Chhattisgarh State.

[F. No. DCE/C/R/BYL-DGS/7A/]

S.K. JHA, Chief Administrative Officer (Construction) S.E.C.Railway, Bilaspur